न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 09/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सुरजाराम पुत्र बगताराम जाति मेघवाल निवासी पापासनी तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 तहसीलदार खींवसर जिला नागौर। 2 धन्नाराम पुत्र जीयाराम 3 नैनाराम पुत्र धन्नाराम 4 नारायणराम पुत्र धन्नाराम जाातियान मेघवाल निवासीगण पापासनी तहसील खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री जोराराम मेहरा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 की ओर से।

दिनांक: 28.11.2025

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 45/2023 सरकार बनाम सुरजाराम में निर्णय दिनांक 13.02.2024 के तहत मौजा पापासनी की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.03.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 की ओर से श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 45/23 सरकार बनाम सुरजाराम की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील कतेई गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ रेकर्ड व न्याय के सामान्य सिद्वांतों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– तहसीलदार को लिखित जवाब पेश कर अवगत करवा दिया था कि अपीलांट व अन्य के पुश्तेनी कब्जासुद अविभाजित सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1477 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा वाके सरहद मौजा बिरलोका मे स्थित थी, कालान्तर में बिरलोका के नये गांव पापासनी सृजित हो जाने से उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम पापासनी तहसील खींवसर की सरहद में स्थित है तथा बिरलोका की पहले तहसील नागौर थी, कालान्तर में तहसील खींवसर हो जाने से वर्तमान में खींवसर तहसील में स्थित है। उक्त भूमि पहले उम्मेदराम पुत्र भैरूराम व बगताराम पुत्र राजूराम की सहखातेदारी की थी, कालान्तर में बगताराम का देहान्त हो जाने से उसके स्थान पर उसके विधिक उतराधिकारी गैर सायल व अन्य सहखातेदार दर्ज हुए व उम्मेदाराम स्वयं मौजूद है। उक्त मूल खसरा नम्बर 1477 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा पर ही शुरू से ही उम्मेदाराम व बगताराम का कब्जा काश्त रहा व उसी अनुसार अपीलांट व अन्य का सम्पूर्ण रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा में लगातार आज दिन कब्जा काश्त है। चूंकि खातेदार अनुसूचित जाति के गरीब अनपढ ग्रमीण परिवेश के व्यक्ति रहे है तथा कुछ आसाजिक तत्वों ने अपीलांट की पुश्तेनी कब्जासुद खातेदारी की भूमि को खुर्द बुर्द कराने के दुराशय से बाले बाले 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि को गे.मु. सडक के रूप में दर्ज करवाने के लिए आपसी मिलीभगती से फर्जी कार्यवाही करते हुए 4 बीघा 13 बिस्वा गेर सायलान की खातेदारी में से राजस्व रेकर्ड में कम करवा कर उसके नये खसरा नम्बर 1477/1738 रकबा 0.7527 हैक्टेयर गे.मु. सडक पी.डब्ल्यू.डी. के नाम दर्ज करवा दी और इसकी कोई जानकारी अपीलांट व उसके परिजनों को व बगताराम खातेदार को नहीं होने दी। चूंकि अपीलांट व उसके परिवार वालों का मौके पर सम्पूर्ण मूल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा पर आज दिन कब्जा है चारों तरफ सींवे माठ, बाड, तारबंदी करके काश्त करसण करते आ रहे है मगर हाल ही में अपीलांट व उसके परिजनों ने सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने व के.सी.सी. ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पूर्ण किया व खतौनी आदि की नकले निकलवाई तब पता चला

28/11/25

अपर कलक्टर, नागौर

कि उनके नाम रकबा कम है यानि खसरा नम्बर 1477 रकबा 4.5325 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है व ऑनलाईन नक्शा में हमारे खेत के पश्चिम तरफ स्थित कटाणी रास्ता के पास में हमारी खातेदारी का रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा उत्तर दक्षिण लम्बाई के रास्ते के लगता हुआ गे. मु. सडक नये खसरा नम्बर 1477/1738 रकबा 0.7527 हैक्टयर दर्ज हो रखा है तब अपीलांट व उसके परिजनों को आश्चर्य हुआ व जानकारों से पता करवाया तो जानकारों ने कहा कि इस बाबत म्यूटैशन का पता करके उसकी अपील करो तब म्यूटैशन के बारे मे जानकारी करवाई व नकल का आवेदन पेश करने पर दिनांक 04.01.2024 को प्रमाणित प्रति मिलने पर सर्वप्रथम उक्त गैर कानूनी अवैध नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 22.07.1977 की जानकारी हुई जिससे व्यथित होकर न्यायालय में म्यूटैशन अपील पेश की जो विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त भूमि कतई सरकारी सडक/रास्ता का भाग नहीं रहा है बल्कि हमारे कब्जासुद खातेदारी की भूमि रही है तथा पीढियों से हमारा बहैसियत मालिक काबिज रहे है तथा हम वास्तविक काबिज मालिक खातेदारों की जानकारी के बिना व मुआवजा दिये बिना व किसी प्रकार से अवाप्ति की विधिक कार्यवाही किये बिना गैर कानूनी रूप से राजस्व रेकर्ड में सडक/रास्ता दर्ज किया गया है व हमारे विधिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है व गलत दर्ज इन्दाज के आधार पर मिथ्या अतिक्रमण रिपोर्ट पेश की है व मामला सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपीलांट कतई अतिक्रमी नहीं है जिससे उसके विरूद्व कार्यवाही हाजा ड्रोप करने का निवेदन किया इसके बावजूद तहसीलदार ने इन महत्पूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए व सक्षम न्यायालय में पहले से ही म्यूटेशन अपील विचाराधीन होते हुए भी उसी भूमि बाबत अपीलाट वास्तविक काबिज वैध स्वामी को अतिक्रमी घोषित कर निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि जब विवादित सम्पति बाबत पहले से ही ऊपर के न्यायालय में मामला विचाराधीन हो तो उसके अंतिम निस्तारण से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को उस सम्पति/भूमि बाबत किसी प्रकार की फाइडिंग देने व निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है अन्यथा पहले से विचाराधीन अपील का औचित्य ही समाप्त हो जाता है जो कतई विधि सम्मत नहीं है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक स्थिति को जानबूझ कर नजर अन्दाज किया है जवाब में वर्णित तथ्यों का कोई विवेचन विश्लेषण नहीं किया है तथा उनको मानने या नहीं मानने का कोई कारण दर्ज किये बिना ही सरसरी तौर पर ही जैसे कि किसी के दबाव में आकर निर्णय पारित किया है, उस हालत में निर्णय जैर अपील पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–हस्तगत भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से गलत दर्ज हुई है मगर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कोई शिकायत आपति रिपोर्ट नहीं है पटवारी हल्का ने बिना किसी की शिकायत के मिथ्या रिपोर्ट पेश की है जबकि उक्त भूमि कभी रास्ता के रूप में काम नहीं आई है तो ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का को भूमाफियों के बहकावे में आकर मिथ्या रिपोर्ट करने का अधिकार ही नहीं था, इस बाबत तहसीलदार को सारी स्थिति से अवगत करवा देने के बावजूद अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना ही तथा पटवारी हल्का के बयान लिये बिना, उससे जिरह का अपीलांट का अवसर दिये बिना ही अत्यंत ही जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–हस्तगत आराजी में से रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि मनमर्जी से सडक में दर्ज करने व उसका नामान्तरकरण बिना खातेदारों की सहमति के, बिना सूचित किये, बिना नोटिस दिये, बिना भूमि अवाप्त किये, बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिये खातेदारों का रकबा कम करके पी.डब्ल्यू. डी. के नाम स्वीकृत करने करने का तहसीलदार को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, जबकि पुराने समय अनुसार सम्पूर्ण रकबा पर आज दिन अपीलांट व दीगर परिवार वालो का कब्जा उपयोग उपभोग है ऐसी स्थिति में कथित नामान्तरकरण ही गलत दर्ज हुआ है उसके आधार पर भूमि की किस्म गलत दर्ज हुई है व उक्त अवैध नामान्तकरण के विरूद्व न्यायालय में अपील पहले से ही विचाराधीन है तो ऐसे अवैध नामान्तकरण के जरिये दर्ज गलत किस्म खातेदारी की आड में सहखातेदार के विरूद्व इस तरह का निर्णय पारित करने का अधीनस्थ न्यायालय को विधिक अधिकार नहीं था न है जिससे भी निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)– वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी समाप्त करके अन्य किसी के नाम दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, धारा 42 राज. टिनेन्सी एक्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी अन्य किसी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है इसके बावजूद मनमर्जी से 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदारी में से कम करके उसका गलत इन्द्राजी रेकर्ड में हई। उससे पूर्व उक्त भूमि अपीलांट व उसके परिजनों की खातेदारी में से कब, किस प्रक्रिया के दौरान कम की गयी, कौनसा आदेश, कैसे किया इस बारे में कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया, सीधा ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया व उसके आधार पर बने रेकर्ड में आड में यह मिथ्या कार्यवाही की गयी है। जहां तक विधिक स्थिति है प्रथम तो अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि की खातेदारी समाप्त करने या अन्य किसी के नाम दर्ज करना

28/11/25

अपर कलक्टर, नागौर

कानूनन वर्जित है दोयम में यदि अवाप्त की जानी आवश्यक होती तो उससे पूर्व खातेदारों को नोटिस देकर सूचित किया जाकर मौके की स्थिति के अनुसार बाजार दर व सरंचनाओं, पेड, पौधों, धौरा पाली, बाड, तारबंदी आदि का उचित मूल्याकंन करके विधिवत मुआवजा देकर भूमि खातेदारों की सहमति से अवाप्त की जानी आवश्यक होती है इसके अलावा उसी सीध में अन्य खातेदारों की भूमियां भी ली जाती है मगर प्रकरण हाजा में न तो नोटिस दिया, न भूमि का मुआवजा दिया न विधिवत अवाप्त की गयी न अन्य कोई विधिक कार्यवाही की गयी और मनमर्जी से अपीलांट अनुसूचित जाति के सदस्यों की ही खातेदारी समाप्त कर पी.डब्ल्यू.डी. की न तो कोई सडक है न उनका कब्जा है न हो सकता है इसके बावजूद केवल राजस्व रेकर्ड में गैर कानूनी नामान्तरकरण के जरिये इन्द्राज के आधार पर पटवारी ने मिथ्या रिपोर्ट करके अतिक्रमण की कार्यवाही कर आदेश जैर अपील पारित किया है। जबकि पटवारी द्वारा कथित अवैध म्यूटैशन प्रस्ताव के 5 साल बाद नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो चुपके चुपके बिना खातेदारों को सूचित किये, बिना मौका जांच किये, बिना कोई नाटिस दिये, बिना जानकारी दिये ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया व अपीलांट जो कि ग्रामीण परिवेश के अनुसूचित जाति के लोग है राजस्व रेकर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते है न कभी आवश्यकता हुई है हाल ही में राजस्व रेकर्ड के बारे में नकले लेने पर सारी जानकारी हुई है इस कारण नामान्तरकरण के विरूद्व अपील पेश की गयी व इस सारी स्थिति से तहसीलदार को अवगत करवा देने के बावजूद व अपील विचाराधीन होने की जानकारी होने के बावतजूद तहसीलदार ने अपीलांट की ही भूमि के संबंध में अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी त्रुटि की है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा पापासनी में स्थित गै. मु. सडक व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि खसरा नम्बर 1477/1738 गैर मुमकिन सडक है जो सडक की भूमि सन 1977 में आवाप्त हुई थी उक्त भूमि का विधिनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत हो गया था और मौके पर उक्त भूमि पर डामरीकरण सडक निर्मित है जो सडक भूमि आवाप्त के तुरंत बाद ही बन गई थी और इस सडक के पास ही कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 866 रहता चला आया था। लेकिन अपीलांट ने न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से सडक की भूमि पर अपना कब्जा होना बताया गया है और सडक हेतु आवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने का कथन किया गया है। जबकि मौके पर सडक 40–45 वर्षो से बनी हुई है और करीब 5 मीटर चौडाई में डामरीकरण सडक मौजूदा है। अगर अपीलांट को व अपीलांट के पूर्वजों को उक्त भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है तो आवाप्ति के समय मुआवजा के संबंध मे आवाप्ति के प्रावधानों के माफिक निश्चित समयावधि के समय आपति करनी चाहिए थी या मुआवजा राशि की आवाप्ति प्रावधानों के माफिक मांग करनी चाहिए थी तथा मुआवजा राशि के संबंध में आवाप्ति के प्रावधानों के अन्तर्गत मांग करने का व आपित करने का प्रावधान है लेकिन आवाप्त की गई भूमि पर जबरन अवैध कब्जा व अतिक्रमण करने का अपीलांट को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 45/2023 सरकार बनाम सुरजाराम में निर्णय दिनांक 13.02.2024 के तहत मौजा पापासनी की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके पापासनी के खसरा नंबर 1477/1738, 866 रकबा 0.04 व 0.01 कुल रकबा 0.05 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन सडक व गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना भी अभिलेख से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर